भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3656

मंगलवार, 17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएलआई योजना के अंतर्गत आवेदन

3656. श्री सुखदेव भगतः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पादन-सह-प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदनों की वर्षवार और राज्यवार कुल संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएलआई योजना के तहत उद्योग और क्षेत्रवार स्वीकृत आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएलआई योजना के तहत आवंटित और वितरित धन का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पीएलआई योजना के परिणामस्वरूप उत्पन्न रोजगार के आंकड़ों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई है।

ये 14 क्षेत्र हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ऑटोमोबाइल और ऑटोघटक, (v) फार्मास्यूटिकल औषधियां, (vi) विशेष इस्पात, (vii) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी) (x) खाद्य सामग्री, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, (xiii) एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, और (xiv) ड्रोन और ड्रोन घटक।

पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक पैमाने की किफायत करना एवं भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में अगले लगभग पांच वर्षों में उत्पादन को अत्यधिक बढ़ावा देने, विनिर्माण क्रियाकलाप में बढ़ोतरी करने और आर्थिक विकास की दिशा में योगदान देने की क्षमता है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, पीएलआई स्कीम के तहत 14 क्षेत्रों में 764 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित आवेदनों की क्षेत्र-वार और वर्ष-वार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है। पीएलआई स्कीम के तहत, पंजीकृत कंपनी के नाम से आवेदन अनुमोदित किए जाते हैं,

जिनकी देशभर में एकाधिक विनिर्माण इकाइयां हो सकती हैं। अत:, इस स्कीम के तहत अनुमोदित आवेदनों की राज्य-वार संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) : अगस्त 2024 तक, 14 क्षेत्रों में 1.46 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 12.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वृद्धिमान उत्पादन/बिक्री तथा 9.5 लाख से अधिक का रोजगार सृजन हुआ है। पीएलआई स्कीम से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 8 क्षेत्रों में और वित्त वर्ष 23-24 में 9 क्षेत्रों में क्रमशः 2,968 करोड़ रुपए एवं 6,753 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया गया। संवितरण आदि के राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि लाभार्थी कंपनियों की देश भर में एकाधिक विनिर्माण इकाइयां हो सकती हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3656 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	क्षेत्र	अनुमोदित आवेदन					
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1	मोबाइल विनिर्माण और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक	16	16	–	–	–	32
2	इलेक्ट्रॉनिक / प्रौद्योगिकी उत्पाद	–	–	–	27	–	27
3	महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/ड्रग इंटरमीडियरी और सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स सामग्रियां	–	46	5	–	–	51
4	चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण	–	19	7	6	–	32
5	फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स	–	53	1	1	–	55
6	एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी	–	–	3	1	–	4
7	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	–	95	–	–	–	95
8	दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद	–	5	37	–	–	42
9	वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र	–		64		10	74
10	खाद्य उत्पाद	–	182	–	–	–	182
11	उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल	–	3	–	11	–	14
12	व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी)	–	42	22	2	–	66
13	विशेष इस्पात	–	–	66	–	1	67
14	ड्रोन और ड्रोन घटक	–	–	23	–		23
	कुल	**16**	**461**	**228**	**48**	**11**	**764**

*****